राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प.5(1)मं.मं. / 2019 जयपुर, दिनांकः 3/11/2021

आदेश

श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण एवं उपकरणों हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने बाबत राज्य सरकार एवं श्री बी.डी. अग्रवाल, श्रीगंगानगर (दानदाता एवं द्वितीय पक्ष) के मध्य दिनांक 14.6.2013 को हुए MOU (Memorandum of Understanding) के तहत प्रोजक्ट की अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत राशि की श्री अग्रवाल द्वारा बैंक गारन्टी दी गई थी। इस हेतु MOU की अवधि में दिनांक 30.6.2021 तक की अभिवृद्धि भी की गई, परन्तु श्री अग्रवाल द्वारा मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण नहीं करवाया गया।

श्री बी.डी. अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16921/2019 वर्तमान में विचाराधीन है। श्री बी.डी. अग्रवाल का देहान्त हो चुका है।

अतः श्री बी.डी. अग्रवाल के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के क्रम में बैंक गारन्टी के संबंध में परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए सुझाव दिए जाने हेतु निम्नानुसार मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्ड़लीय उप समिति का गठन किया जाता हैः—

1. श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री
   ऊर्जा विभाग
2. श्री रघु शर्मा, मंत्री
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. डॉ. सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

समिति का प्रशासनिक विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-
(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, संबंधित मंत्रिगण / राज्यमंत्री।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव